ई–मेल / डाक
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.6(1)(35)रोल / निर्वा / 2016 / मतदान केन्द्र / 3714 **जयपुर, दिनांक 29.09.2016**

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर
प्रेषित :समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : अर्हता दिनांक 01.01.2017 की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम– प्रारूप प्रकाशन से पूर्व मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन करने बाबत।

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 23/2016-ERS **दिनांक 27 फरवरी, 2016 एवं इस विभाग का पत्र कमांक 1632 दिनांक 20.04.2016**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची–2017 के आधार पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 को प्रारूप प्रकाशन करने की तिथि निर्धारित थी। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में राज्य में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में आयोग ने यह निर्देश दिए हैं कि उक्त संदर्भित पत्र के अनुसार अभी तक मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण (Rationalization) का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है इसलिये मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन करने से पूर्व मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण का कार्य किया जाये। भारत निर्वाचन निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों की पालना में निम्न निर्देश दिये जाते हैंः–

1. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2017 में परिवर्तन के लिये भारत निर्वाचन आयोग को पत्र क्रमांक 3689 दिनांक 28.09.2016 द्वारा लिखा गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की स्वीकृति के पश्चात् मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन का कार्य किया जायेगा।

2. मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के विषय में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे मतदान केन्द्र जिनमें मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है ऐसे मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन कर मतदाताओं की संख्या यथास्थिति 1400 एवं 1200 सीमित रखी जाए। विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य में कुल शहरी क्षेत्रों में 1400 से अधिक 1815 मतदान केन्द्र हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 से अधिक 7960 मतदान केन्द्र है, जिसकी सूची **परिशिष्ट 'ए'** के अनुसार है।

3. गत् लोकसभा आम चुनाव 2014 के समय कुछ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक हो गई थी, वहॉ पर सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए थे। वर्तमान में पुनर्गठन की कार्यवाही के दौरान ऐसे सहायक मतदान केन्द्रो को स्वतंत्र मतदान केन्द्र घोषित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाने हैं।

4. मतदान केन्द्रों का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार पुनर्गठन करते समय अर्हता दिनांक 01.01.2017 के क्रम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार तैयार की गई त्रुटिरहित प्रारूप मतदाता सूची की चैकलिस्ट का प्रयोग किया जाएगा अर्थात एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन या विभाजन किया जाएगा तथा तद्नुसार मतदाताओं के क्रमांक/अनुभाग के अनुसार प्रस्ताव तैयार किए जाए ताकि प्रस्तावित मतदान केन्द्रों पर आयोग से अनुमोदन होने के पश्चात् तदनुसार पुनर्गठित मतदान केन्द्रों के अनुसार ही ERMS के माध्यम से प्रारूप मतदाता सूची तैयार की जा सके।

5. जैसा कि आपको विदित है कि मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु आयोजित राष्ट्रीय अभियान के दौरान विभाग द्वारा सर्वप्रथम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन करवाया गया है। तत्समय निर्देशों में यह भी निर्देश दिए गए थे कि ऐसे मतदान केन्द्र जहॉ पर मतदाताओं की संख्या अधिक है वहॉ पर वैकल्पिक भवन चिन्हित कर लें जिससे कि आगामी पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करते समय इन चिन्हित किए गए भवनों में नए मतदान केन्द्र स्थापित किए जा सके। अतः जिन मतदान केन्द्रों का पूर्व में भौतिक सत्यापन कर लिया गया है उन मतदान केन्द्रों का पुनः भौतिक सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है।

6. मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करते समय आप द्वारा निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी है।

6.1 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मतदान केन्द्र जहॉ पर मतदाताओं की संख्या क्रमशः 1400 एवं 1200 से अधिक है उनके पुर्नगठन के प्रस्ताव तैयार करते समय यह देखा जाए कि यदि समीप के किसी मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या कम है तो अधिक मतदाताओं की संख्या वाले मतदान केन्द्र के कुछ अनुभाग इस समीप के मतदान केन्द्र में सम्मिलित किये जाएं। इस प्रकार की कार्यवाही करने से मतदान केन्द्रों की संख्या में अनावश्यक रूप से बढ़ोतरी नहीं होगी। इस प्रकार के प्रस्ताव **प्रपत्र–2** के अनुसार तैयार किए जाने हैं।

6.2 मतदान केन्द्रो का पुर्नगठन करते समय यह सुनिश्चित करें कि विभाजित होने वाले दोनों मतदान केन्द्रों में क्षेत्रों का भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में विभाजन हो सके

तथा एक ही क्षेत्र/परिक्षेत्र के मतदाता एक ही मतदान केन्द्र में आ सकें। इस विषय में प्रस्ताव तैयार करते समय **संलग्न प्रपत्र–2** का अवलोकन करें जिसमें आपके द्वारा वर्तमान मतदान केन्द्र एवं प्रस्तावित मतदान केन्द्र के विषय में विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। **प्रपत्र–2** में सूचना तैयार करते समय कॉलम संख्या 5 में वर्तमान मतदान केन्द्र मे कुल मतदाताओं की संख्या का अंकन किया जाना है। इसी प्रकार से **प्रपत्र–2** के कॉलम संख्या 9 में प्रस्तावित मतदान केन्द्र में सम्मिलित होने वाले मतदाताओं की संख्या का स्पष्ट रूप से अंकन मय मतदाता सूची की भागवार क्रम संख्या के अनुसार किया जाए। **प्रपत्र–2** के कॉलम संख्या 7 में प्रस्तावित मतदान केन्द्र में कौन–कौन से क्षेत्र–परिक्षेत्र सम्मिलित होंगे उनका विवरण अंकित करना है और प्रत्येक क्षेत्र–परिक्षेत्र के मतदाताओं की संख्या पृथक–पृथक रूप से कॉलम संख्या 8 में अंकित करनी है।

6.3 ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्र के साथ मतदान केन्द्र के मुख्यालय के ग्राम के अतिरिक्त अन्य किसी गॉव में यदि मतदाताओं की संख्या 300 से अधिक है तो उस गॉव में उपयुक्त सरकारी भवन होने पर नए मतदान केन्द्र के प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं। नये प्रस्ताव तैयार करते समय यह सुनिश्चित करें कि पूरे गांव का प्रस्ताव किसी एक मतदान केन्द्र में अंकित हो। किसी भी दशा में एक गांव दो मतदान केन्द्र में विभाजित नहीं होना चाहिए।

6.4 मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करते समय यह देख लिया जाए कि ऐसे शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐसा मतदान केन्द्र है जो प्रथम तल पर स्थापित हैं, या किसी अस्पताल, धार्मिक स्थल, पुलिस स्टेशन आदि में स्थापित है या मतदान केन्द्र का भवन जीर्ण–शीर्ण हो गया है तो ऐसे मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन के विषय में विद्यमान पोलिंग एरिया में सरकारी भवन उपलब्ध होने पर भवन परिवर्तन के प्रस्ताव **परिशिष्ट 'बी'** के अनुसार प्रस्तुत किए जाएं। भवन जीर्ण–शीर्ण या शाला बंद होने की स्थिति में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण –पत्र भी संलग्न किया जाए।

6.5 नवीन मतदान केन्द्रों के प्रस्तावों के साथ मतदान केन्द्र का की प्लान (Key Plan), कैड डिजाइन (CAD) आदि आवश्यक रूप से संलग्न किए जाए।

7. उपरोक्त निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव तैयार करने के बाद प्रस्तावित मतदान केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार नक्शे पर मतदान केन्द्र प्रदर्शित करते हुए इनकी पुनः नम्बरिंग (Numbering) की जानी है। उक्त नम्बरिंग रिर्टनिंग ऑफिसर की

पुस्तिका–2014 के अध्याय दो के पैरा 2.7 के पृष्ठ संख्या 15 के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उत्तर पश्चिम से जिग–जैग मैनर में चलते हुए दक्षिण पूर्वी कोने में जाकर समाप्त किए जाए। तद्नुसार **प्रपत्र–4** में प्रत्येक मतदान केन्द्र के क्रम में सूचना तैयार करते समय प्रस्तावित मतदान केन्द्र के क्रम में कॉलम संख्या 2 में मतदान केन्द्र का पता अंकित करना है। कॉलम संख्या 4 में मतदान केन्द्र का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में व कॉलम संख्या 5 में मतदान केन्द्र का प्रवेश एवं निकास द्वार के संबंध में विवरण अंकित करना है। कॉलम संख्या 6 में भाग संख्या का विस्तार अर्थात मतदान क्षेत्र में कौन–कौन से क्षेत्र–परिक्षेत्र सम्मिलित हैं, का विवरण अंकित करना है। कॉलम नं. 9 में मतदान केन्द्र पर पहुंचने के लिए तय की जाने वाली दूरी का अंकन करना होगा। पुराने मतदान केन्द्रों के विषय में सूचना यथावत रहेगी। इस प्रपत्र के कॉलम संख्या 10 में उपलब्ध सूचना के अनुसार यह अंकित करना है कि मतदान केन्द्र में आयोग के निर्देशानुसार उपलब्ध सभी **Assured Minimum Facilty** अंकित करनी है। संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार उक्त सूचना हिन्दी व अंग्रेजी में तैयार की जानी है। मतदान केन्द्रों का उपरोक्त प्रकार से पुनर्गठन करते समय यह ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक मतदान केन्द्र में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र/परिक्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से पुनर्गठित मतदान केन्द्र को कामपेक्ट स्वरूप देवे तथा प्रस्तावित मतदान केन्द्र मतदाताओं के लिए सुविधाजनक रहे। मतदान केन्द्र के भवन में यह भी देखा जाए कि बाहर निकलने एवं आने के लिए दो अलग–अलग दरवाजे उपलब्ध हों। प्रस्तावित भवन का क्षेत्रफल न्यूनतम 20 वर्गमीटर होना चाहिए।

8. जिन मतदान केन्द्रों में 300 से कम मतदाता पंजीकृत हैं उन मतदान केन्द्रों को किसी अन्य मतदान केन्द्र के साथ समाहित किया जा सकता है, किन्तु यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे मतदाताओं को किसी भी दशा में दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े। ऐसे मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव प्रपत्र–3 में प्रेषित करें।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे भवन जिनमें दो अथवा अधिक मतदान केन्द्र स्थापित हों एवं इसी तरह शहरी क्षेत्रों में ऐसे भवन जिनमें चार अथवा अधिक मतदान केन्द्र स्थापित हों के लिये भी पुर्नगठन के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये जाने हैं।

10. मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के पश्चात एवं मतदान केन्द्र का भवन परिवर्तन होने की स्थिति में आयोग के अनुमोदन हेतु विभाग को निम्न **दस्तावेज ए–4 साईज** के पेपर पर कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार कर भिजवाए जायेंगे।

    1. प्रपत्र–2 के अनुसार पुनर्गठन के प्रस्ताव दो प्रतियों में **(हिन्दी एवं अंग्रेजी में)**
    2. मतदान केन्द्रों के समाहित करने के प्रस्ताव प्रपत्र–3 में दो प्रतियों में **(हिन्दी व अंग्रेजी में)**

3. पुनर्गठित मतदान केन्द्रों का की–प्लान, कैड डिजाइन आदि के नक्शे **(दो प्रतियो में)**
4. मतदान केन्द्रों की सूची के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र प्रपत्र संख्या–5 **(हिन्दी व अंग्रेजी दो प्रतियों में)**
5. रिटर्निंग ऑफिसर की पुस्तिका 2014 के अध्याय दो के पैरा 2.7 के अनुसार मतदान केन्द्रों की सूची का संवीक्षा पत्रक प्रपत्र–6 **(हिन्दी व अंग्रेजी दो प्रतियों में)**
6. मतदान केन्द्रों का भवन परिवर्तन होने की स्थिति में तद्नुसार प्रस्ताव परिशिष्ठ–बी **(हिन्दी एवं अंग्रेजी दो प्रतियों में)**

11. मतदान केन्द्रों के उक्त प्रस्ताव के संबंध में जिला स्तर पर गठित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की स्थाई समिति से विचार–विमर्श कर लिया जावे तथा इसके पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्ताव भिजवाएँ। बैठक की कार्यवाही विवरण भी प्रस्तावों के साथ संलग्न किया जाए।

उपरोक्त प्रकार से मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, समाहित एवं भवन परिवर्तन के प्रस्ताव तैयार करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्ताव उपरोक्त निर्देशों के अनुसार है। उपरोक्त कार्यवाही आप आवश्यक रूप से **दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 तक** पूर्ण कर प्रस्ताव विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि विभाग स्तर पर परीक्षण किया जाकर आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हरि शंकर गोयल)
कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.6(1)(35)रोल/निर्वा/2016/मतदान केन्द्र/ **जयपुर, दिनांक**

प्रतिलिपि :–

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक) को सूचनार्थ ।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त अधिकारी गण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।
4. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) का प्रति प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त दिशा–निर्देश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रपत्र –2

मतदान केन्द्रों के पुर्नगठन के प्रस्ताव

जिले व. ाम : ....

(न0) .... (नाम) .... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की (संख्या,) .... (नाम) .... एवं आरक्षण की स्थिति :

	वर्तमान मतदान केन्द्र				प्रस्तावित मतदान केन्द्र				
क्र. सं.	मतदान केन्द्र की क्र. स. एवं भाग संख्या	मतदान केन्द्र के भवन का नाम एवं स्थान	मतदान केन्द्र के क्षेत्र– परिक्षेत्र का विवरण	मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्र के भवन का नाम एवं स्थान	मतदान केन्द्र के क्षेत्र– परिक्षेत्र का विवरण	मतदाताओं की संख्या	मतदाताओं की भागवार एवं मतदाता क्रम संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			कुल मतदाता			कुल मतदाता			
			कुल मतदाता			कुल मतदाता			

FORMAT-2

PROPOSALS REGARDING RECONSTITUTION OF POLLING STATION

NAME OF DISTRICT : ---

NO. AND NAME OF ASSEMBLY CONSTITUENCY ---

NO.AND NAME OF PARLIAMENTARY CONSTITUENCY ---

S.No.	PRESENT POLLING STATION				PROPOSED POLLING STATION				
	No.of Polling Station & No.of Part	Name of Building of Polling Station & Place	Details of Area /Sub Area of Polling Station	No.of Voters	Name of Building of Polling Station & Place	Details of Area /Sub Area of Polling Station	No.of Voters	Part wise No. of Voters	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

मतदान केन्द्रों को समाहित करने के प्रस्ताव

जिले का नाम :

(न0) .... (नाम) .... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की (संख्या,) .... (नाम) ...... एवं आरक्षण की स्थिति :

	वर्तमान मतदान केन्द्र				प्रस्तावित मतदान केन्द्र			
क्र. सं.	मतदान केन्द्र की क्र स. एवं भाग संख्या	मतदान केन्द्र के भवन का नाम एवं स्थान	मतदान केन्द्र के क्षेत्र का विवरण	मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्र के भवन का नाम व स्थान	मतदान केन्द्र के क्षेत्र का विवरण	मतदाताओं की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1–			1–		
			2–			2–		
			कुल मतदाता			3–		
			1–			4–		
			2–			कुल मतदाता		
			कुल मतदाता					

हस्ताक्षर

(नाम)

जिला निर्वाचन अधिकारी,

Format- 3

Proposal for merging the polling stations

Name of District

S.No & Name of Assembly Constituency.................... Name No. & Name of merged Parliament constituency .... Status of Reservation:

	Existing Polling Station				Prososed Polling Station			
S.No	S No of Polling Station & Part no.	Name of Polling Station & Place	Particulars of Polling Station	No. of Electors	Name of Polling Station & Place	Particular of Polling Station	No. of Electors	Remakes
			1-			1-		
			2-			2-		
			Total Electors			3-		
			1-			4-		
			2-			Total Electors		
			Total Electors					

Signature

(Name)

Distt. Election Officer

प्रपत्र–4

मतदान केन्द्रों की सूची

.... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र) .... के लिए मतदान केन्द्रों की सूची।

क्र.स	मतदान केन्द्र का इलाका	भवन जिसमें मतदान केन्द्र स्थापित किया जायेगा	मतदान केन्द्र का क्षेत्र-(वर्गमीटर) फल	क्या प्रवेश और निकास अलग– अलग हैं, यदि नही तो उसका कारण	मतदान क्षेत्र	सभी मतदाताओं के लिए है या केवल पुरूषों के लिए हैं या केवल महिलाओं के लिए है	कुल समनुदेशित मतदाताओं की संख्या	वह अधिकतम दूरी, जो किसी मतदाता को मतदान केन्द्र पर पहुंचने के लिए तय करनी पडेगी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. मतदाताओं की कुल संख्या ....
2. प्रस्तावित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या ....
3. प्रति मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की औसत संख्या ....

जिला निर्वाचन अधिकारी

तारीख ....

15

Format-4

ANNEXURE VI

(Para 5 Chapter II)

LIST OF POLLING STATIONS

For .... (Assembly Constituency within the)

.... (Parliamentary Constituency)

Sl. No of Polling Station	Locality	Building in which in will be located	Area of the Polling Station	Whether there is a separate entrance, and exit if not, reasons	Polling * areas	Whether for all voters or men only or women only	Total number of voters assigned	Maximum distance that a voter will have to travel to reach the station	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Total number of voters
2. Total number of polling stations proposed
3. Average number of voters per polling station

Date :-

District Election Officer

* Here give names of villages, wards, streets, localities, house numbers and part No. of the electoral roll assigned. In case part is split up into two polling stations, then the serial numbers (not the house numbers of the voters assigned should also be mentioned.

परिशिष्ट – बी

मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन के प्रस्ताव

जिले का नाम ....

.... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम .... एवं आरक्षण की स्थिति : ....

क. स.	वर्तमान मतदान केन्द्र				प्रस्तावित मतदान केन्द्र				
	मतदान केन्द्र की कम संख्या एवं भाग संख्या	मतदान केन्द्र के भवन का नाम एवं स्थान	मतदान केन्द्र के क्षेत्र का विवरण	मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्र के भवन का नाम व स्थान	मतदान केन्द्र के क्षेत्र का विवरण	मतदाताओं की संख्या	क्या प्रस्तावित भवन पोलिंग ऐरिया में स्थित है	औचित्य
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10

नोट– कृपया भवन जीर्ण/शीर्ण अथवा निजी भवन है तो संबंधित आदेश/प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए।

हस्ताक्षर मय सील

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)

Format – B

Proposal for changes of Building of Polling Stations

Name of District …………………

S.No. & Name of Assembly Constituency…………………………. comprised with in the Parliamentary Constituency ……………………...Status of Reservation …………………

	Existing of Polling Station				Proposed of the Polling Station				
S. No.	S.No. of Polling Station & Part No.	Name of Building & place of Polling Station	Particulars of Area of Polling Station	No. of Electors	Name of Building of Polling Station & Place	Particulars of Area of Polling Station	No. of Electors	Whether proposed building is situated in polling Area	Justification
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10

Note : If building is dilapidated or Private , the certificate should be enclosed.

Signature with Seal
District Electoral Officer (Collector)

प्रपत्र — 5

मतदान केन्द्रों की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :–

i- प्ररूप सूची यथा विधि प्रकाशित की गई थी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे और उन पर दलीय प्रतिनिधियों और विधायकों से आयोग के निर्देशन के अनुसार विचार विमर्श किया गया था;

ii- निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सभी मतदान क्षेत्रों को सूची में समाविष्ट कर लिया गया है;

iii- ऐसे किसी भवन को चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, जो कोई मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, गुरूद्वारा है या जिसका कोई धार्मिक महत्व है, या जिसके संबंध में जनता के किसी वर्ग को उसमें प्रवेश की कोई तर्कसंगत आपत्ति हो सकती है, मतदान केन्द्र के रूप में प्रस्तावित नहीं किया गया है;

iv- कि किसी पुलिस थाने, चिकित्सालय या औषधालय को मतदान केन्द्र के रूप में प्रस्तावित नहीं किया गया है;

v- किसी ऐसे क्षेत्रों में, जिसके मतदाता प्रमुख रूप से हरिजन तथा समाज के अन्य निर्बल वर्गो के लोग हैं, पृथक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं और ऐसे किसी भी क्षेत्र को न तो छोड दिया गया है और न उसे ऐसे क्षेत्रों से जोड दिया गया है जहां के मतदाता प्रमुख रूप से ऊंचे तबके के लोग हो;

vi- जहां प्रति मतदान केन्द्र .... से .... मतदाताओं की सीमा या दो किलोमीटर की सीमा जिससे अधिक मतदाता को साधारणतया चलना अपेक्षित नहीं होना चाहिए, नहीं रखी जा सकी है, वहां उससे अच्छी कोई अन्य व्यवस्था व्यवहार्य नहीं है;

vii- कि मतदान केन्द्रों की सूची में कोई भी निजी भवन किसी राजनीतिक दल का नहीं है अथवा विदित रूप से राजनीतिक दलों में से किसी के प्रमुख या सक्रिय सदस्य का नहीं है और

viii- ऐसे मामलों में जहां निजी भवन का मतदान केन्द्र के रूप में चयन किया गया है, उस प्रयोजन के लिए स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त कर ली गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी

स्थान ....
तारीख ....

Format-5

(Para 6. 7 Chapter – II)

CERTIFICATE TO BE FURNISHD ALONG WITH LIST OF POLLING STATIONS

(i) That the draft, list was duly published, objections and suggestions were invited, and discussed with the party representatives and legislators on the lines indicated in the Commission's Directions;

(ii) That al the polling areas within the constituency have been covered in the list;

(iii) That no building public or private, which is temple, church, mosque, gurdwara or has any religious significance or in respect of which any section of the public may have any legitimate objection or enter, has been proposed as a polling station;

(iv) That no police station, hospital or dispensary is proposed as a polling station;

(v) That separate polling stations have been set up in areas electors of which are predominantly Harijan and other weaker sections of the society and that no such area has been either left out or linked with the areas where electors predominantly belong to forward communities;

(vi) Where the usual limit of --------- -- -------- voters per polling station or the limit of two kilometers beyond which a voter should not ordinarily be required to walk has not been maintained, no better arrangement is practicable;

(vii) That no private building in the list of polling stations belongs to any political party or is known to belong to any prominent or active member of any of the political parties; and

(viii) In cases where private buildings have been selected as polling stations, the written consent of the owner for the purpose has been obtained.

Signature of the

District Election Officer

Place : ....

Date : ....

प्रपत्र – 6

मतदान केन्द्रों की सूची का संवीक्षा–पत्रक

.... राज्य का .... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।

1. मतदान की तारीख – शून्य
2. निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओ की कुल संख्या ....
   (क) पुरूष ....
   (ख) महिलाएं ....
   (ग) सेवा नियोजित मतदाता ....
   योग ....
3. प्रति मतदान केन्द्र .... मतदाताओ के औसत के आधार पर अपेक्षित मतदान केन्द्रो की संख्या।
4. वस्तुतः प्रबंधित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या।
5. प्रति मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की औसत संख्या।
6. ऐसे मतदान केन्द्रों की संख्या जिनमें से प्रत्येक को .... से अधिक मतदाता समनुदेशित किये गए है, मतदान केन्द्र को समनुदेशित मतदाताओं की अधिकतम संख्या बताइये।
7. मतदान केन्द्र को समनुदेशित मतदाताओं की न्यूनतम संख्या।
8. क्या मतदान क्षेत्रा के प्रत्येक संघटक ग्राम या अन्य इकाई के संबंध में मतदाताओं की संख्या सूची/नक्शे में दिखा दी गई है।
9. ऐसे मतदान केन्द्रों की संख्या जिनकी अधिकतम दूरी, जो किसी मतदाताओं को तय करनी होगी, 2 किलोमीटर से अधिक है।
10. क्या सभी मतदान क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया है।
11. क्या सभी मतदान केन्द्रों की क्रम संख्या व्यवस्थित रूप से डाली गई हैं।
12. (क) क्या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हरिजनों और समाज के अन्य निर्बल वर्गो के मतदाता प्रमुख रूप से बसे हुए हों।
    (ख) यदि हां, तो उनके लिए पृथक् रूप से स्थापित मतदान केन्द्रों की संख्या और उनमें से प्रत्येक केन्द्र को समनुदेशित मतदाताओं की कुल संख्या।
13. क्या कोई मतदान केन्द्र निम्नलिखित मे से किसी स्थान में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है :
    (क) निजी भवन में।
    (ख) अस्थायी संरचना में, और यदि हां, तो क्या मतदान केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए चुने गये ठीक स्थल को सूची में स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया गया है।
14. ऐसे मतदान केन्द्र की संख्या जिनका क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर से कम हो।

15. क्या यह प्रमाणित कर दिया गया है कि निजी भवन किसी अभ्यर्थी, उसके सक्रिय कार्यकर्ताओं या ज्ञात समर्थकों का नहीं है।
16. ऐसे मतदान केन्द्रों का ब्यौरा जहां नगरीय क्षेत्रों में चार से अधिक मतदान केन्द्र और ग्रामीण क्षेत्रों में दो से अधिक मतदान केन्द्र एक ही भवन में स्थापित किए गए है।
17. क्या यह प्रमाणित कर दिया गया है कि निर्वाचन–क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित मतदान केन्द्रों में सभी मतदान क्षेत्र आ जाते है।
18. (क) महिला मतदाताओं के लिए पृथक रूप से व्यवस्थित मतदान केन्द्रों की क्रम संख्या।

    (ख) उक्त (क) की दशा में, क्या किसी क्षेत्र विशेष के पुरूष और महिला मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र एक ही भवन में स्थापित किए गए हैं।
19. ऐसे मतदान केन्द्रों की क्रम संख्या जिन्हें मतदाताओं का अधिकतम संख्या वाले गांवों में नही स्थापित किया गया है।
20. ऐसे मतदान केन्द्रो की क्रम संख्या जिन्हें उससे सम्बद्ध किसी भी ग्राम में स्थापित नहीं किया गया है।
21. क्या सूची अनौपचारिक रूप से प्रकाशित की गई है और उस पर राजनीतिक दलों, आदि से विचार विमर्श कर लिया गया है।
22. निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली पिछली बार गहन रूप से (गम्भीरता से) कब पुनरीक्षित की गई थी, और क्या वर्ष के दौरान ऐसा पुनरीक्षण पुनः किए जाने का कोई प्रस्ताव है।
23. कोई अन्य अभ्युक्ति।

जिला निर्वाचन अधिकारी।

टिप्पणी – कृपया मद 6, 7, 12(ख), 13, 14, 16, 18, 19 और 20 के सामने मतदान केन्द्रों की कुल संख्या के साथ साथ उनकी क्रम संख्या भी विनिर्दिष्ट करें।

Format-6

(Para 6.7 Chapter – II)

SCRUTINY SHEET FOR LIST OF POLLING STATIONS

…………………………………………………………Assembly Constituency of ……………………………………………………………………………………

State ……………………………

1. Date of Poll …………………..

2. Total number of voters in the Constituency …………………

   (a) Men …………………………………………………

   (b) ……………………………………………… Women ……………………………………………………………………

   (c) Service Voters ………………………………………

   Total ……………………

3 Number of polling stations required on the basis of an average of ………… voters per polling station. :

4 Total Number of polling stations actually provided. :

5 Average number of voters per polling station. :

6 Number of polling stations to each of which more than ………… voters have been assigned indicating the highest number of voters assigned to a polling station. :

7 The lowest number of voters assigned to a polling station. :

8 Whether the number of voters in respect of each component village or other unit of the polling area has been shown in the list / map :

9 No. of polling stations for which the maximum distance that a voter will have to travel is more than 2 kilometers. :

10 Whether all the polling areas have been clearly demarcated :

11 Whether serial number of polling stations has been done in a systematic manner. :

12 (a) whether there are any areas predominantly inhabited by electors belonging to Harijan and other weaker sections of the society :

(b) If so, the number of polling stations set up separately for them and the total number of electors assigned to each of them :

13 Whether any polling station has been proposed to be located in any (a) Private building :

(b) Temporary structure, and if so, whether the exact site chosen for the location of the polling stations has been clearly indicated in the list :

14 No. of polling stations which have less than 20 sq. mt. Area :

15 Whether it has been certified that the private buildings do not belong to any of the Candidates, his active workers or known sympathisers. :

16 Details of Polling stations where more than 5 polling stations in urban areas and more than 3 polling stations in rural areas have been located in the same building. :

17 Whether it has been certified that all the polling areas within the constituency are covered by the proposed polling stations. :

18 (a) Serial Nos. of separate polling stations provided for women voters :

(b) In case of (a) above, whether polling station for men and women voters of a particular area have been located in the same building :

19 Serial number of polling stations which have not been situated in the villages having the largest number of voters. :

20 Serial number of polling stations which have not been located in any of the villages attached to it :

21 Whether the list has been informally published and discussed with the political parties, etc. :

22 When the electoral roll of the Constituency was last intensively revised; and whether there is any proposal of such revision again during the year: :

23 Any other remarks

District Election Officer

Note :- Please specify the serial numbers in addition to total number of polling stations against items 6, 7, 12(b), 13, 14, 16, 18, 19 and 20.